125

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. अपील 2249-I-16

विषय :— आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

प्रदीप भास्कर उईके पिता उदेराम गौड़ निवासी हाउबाग जबलपुर।

विरूद्ध —

अनावेदक — 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

2. श्री दर्शन जैन पिता सुनील कुमार जैन,

निवासी मेनरोड गोरखपुर जिला जबलपुर।

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **51**/अ—21/2013—14 में पारित **अंतिम आदेश** दि. 01/02/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत्** यह अपील/निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री प्रदीप भास्कर उईके पिता श्री उदेराम गौड़ निवासी हाउबाग गोरखपुर जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **बरबटी नं.ब. 73 प.ह.नं. 48/63 रा.नि. मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर** स्थित भूमि खसरा नं. **335 रकवा 0.580 हेक्ट. भूमि** अनावेदक/**गैर आदिम जनजाति के सदस्य** श्री दर्शन जैन पिता सुनील कुमार जैन, निवासी मेनरोड गोरखपुर जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र (Annexure-2) **म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3- प्रकरण में न्यायालय अपर कलेक्टर (शहर) जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र. 67/अ—21/11—12 के रूप में प्रारंभ किया गया था। जिसमें आदेश दि. 15/03/2012 द्वारा प्रकरण खारिज किया गया था।

4- न्यायालय एडीशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण क्र. 42/अ—21/12—13 में पारित आदेश दिनांक 16/08/2013 से न्यायालय अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 15/03/2012 को **अपास्त** किया गया है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि

प्रदीप भास्कर उईके

NOTARY RAMDAS SHARMA M.P 18/2014/21 -B(2)2013 JABALPUR (M.P.)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 2249/एक/2016 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.7.16	यह अपील अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 51/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अपीलार्थी कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम बरबटी न.ब. 73 प.ह.न.48/63 रा.नि.म. वरगी तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 335 रकवा 0.580 है0 भूमि अनावेदक क्रमांक 2 श्री दर्शन जैन पुत्र सुनील कुमार जैन निवासी मेन रोड गोरखपुर जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है। इसलिये अपीलार्थी को भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 51/अ–21/2013–14 पंजीबद्ध कर अपीलार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर से करायी। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने आदेश दिनांक	

01.02.2016 से विक्रय अनुमति आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा मात्र 2 वर्ष के भीतर भूमि विक्रय का अनुबंध किया जाकर अनुमति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्टया संदेहास्पद है। अतः आवेदन पत्र खारिज किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

3– अपील मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा अपीलार्थी अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– अपीलार्थी अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने दिनांक 01.02.2016 को आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार नहीं किया। और आवेदन पत्र संदेहास्पद मानकर में निरस्त कर दिया गया है। जिससे अपीलार्थी का आवेदन पत्र विक्रय अनुमति बावत् सद्भाविक विचार होने से रह गया है। जबकि प्रकरण में समस्त प्राथमिक कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी थी अतः विचाराधीन अपील प्रस्तुत कर विक्रय अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की।

5– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 01.02.2016 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जाँच हेतु गया एवं जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के

बाद वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, अतः कलेक्टर जबलपुर का आदेश दिनांक 01.02.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

6- अपीलार्थी के अभिभाषक के तर्कानुसार अपीलार्थी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है, तथा साथ ही साथ यह बताया गया था कि उपरोक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् अपीलार्थी के पास ग्राम चुरिया में 2.45 है0 एवं ग्राम वसैया तहसील कुण्डम में पत्नी के नाम पर 2.51 है0 भूमि शेष बचेगी जो उसके जीवन यापन हेतु पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो भूमि विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अतः प्रकरण में यह देखना है कि अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं।

7- अपीलार्थी अभिभाषक के तर्को के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं अपीलार्थी की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि अपीलार्थी भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वंय द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

8- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके

कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7–ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण अपीलार्थी ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर अनावेदक क्रमांक 2 के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः अपीलार्थी को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

9– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 51/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी को ग्राम बरबटी न.ब. नं. 73 प.ह.न. 48/63 रा.नि.म. वरगी तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 335 रकवा 0.580 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

सदस्य